भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

11.02.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1988 का उत्तर

यात्री किराए में संशोधन के लिए मानदंड

1988. सुश्री सयानी घोष:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यात्री किराए में वृद्धि करने का निर्णय लेते समय भारतीय रेलवे द्वारा अपनाए गए मानदंड और कार्यप्रणाली क्या है तथा किराए में संशोधन की आवश्यकता का आकलन करने के लिए इस्तेमाल किए गए पैरामीटर क्या हैं;

(ख) क्या किराया वृद्धि का प्रस्ताव करते समय परिचालन लागत, ईंधन की कीमतें, मुद्रास्फीति, यात्री मांग, सेवा की गुणवत्ता और सामर्थ्य जैसे कारकों पर विचार किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे किरायों में परिवर्तन की जांच करने और सिफारिश करने के लिए कोई समिति, विशेषज्ञ निकाय या आंतरिक समीक्षा तंत्र मौजूद है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किरायों में संशोधन करने से पहले यात्रियों, हितधारकों या उपभोक्ता निकायों के साथ कोई परामर्श किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) वर्ष 2014 से अब तक किराया संशोधन की आवृत्ति तथा परिमाण का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) किराया वृद्धि से कम आय वर्ग तथा दैनिक यात्रियों पर असंगत बोझ न पड़े यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): भारतीय रेल 720 करोड़ से अधिक यात्रियों को किफायती परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराती है। भारतीय रेल के किराए विश्व के सबसे कम किरायों में शामिल है, यहां तक कि पड़ोसी देशों की तुलना में भी।

भारतीय रेल सेवा की लागत, सेवा का मूल्य, सामर्थ्य, अन्य प्रतिस्पर्धी साधनों से प्रतिस्पर्धा, सामाजिक-आर्थिक पहलुओं आदि का समुचित ध्यान रखते हुए किराए निर्धारित करती है। विभिन्न रेलगाड़ी सेवाओं के किराए पेश की गई सेवाओं/सुविधाओं के प्रकार द्वारा भी निर्धारित किए जाते हैं।

यात्री किराए के युक्तिकरण के लिए विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन एक सतत् और चलायमान प्रक्रिया है। यात्री किरायों सहित यात्री संबंधी विभिन्न नीतियों के संबंध में फीडबैक विभिन्न मंचों के माध्यम से निरंतर प्राप्त किया जा रहा है जैसे यात्री संघ, रेलवे स्टेशन, मंडल और क्षेत्रीय रेल स्तर पर परामर्शदात्री समितियां आदि।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भारतीय रेल ने 5 वर्ष के अंतराल के बाद यात्री किरायों के दो युक्तीकरण किए हैं। ये संशोधन लागू श्रेणियों में सर्वत्र एकरूप और अंशाकित विधि से किए गए हैं। पहला युक्तीकरण 01.07.2025 से कार्यान्वित किया गया था, जिसमें द्वितीय श्रेणी साधारण के किराए में 500 किलोमीटर तक कोई वृद्धि नहीं की गई और उसके बाद प्रति यात्री प्रति किलोमीटर किराए में आधे पैसे की वृद्धि की गई। साधारण (शयनयान श्रेणी और प्रथम श्रेणी) में प्रति यात्री प्रति किलोमीटर किराये में आधे पैसे, मेल/एक्सप्रेस में अवातानुकूल श्रेणियों में प्रति यात्री प्रति किलोमीटर 01 पैसे और आरक्षित वातानुकूल श्रेणियों में प्रति यात्री प्रति किलोमीटर 02 पैसे की मामूली वृद्धि की गई थी।

द्वितीय युक्तीकरण 26.12.2025 को कार्यान्वित किया गया था, जिसमें 215 किलोमीटर तक द्वितीय श्रेणी साधारण में कोई वृद्धि नहीं और इसके बाद प्रति यात्री प्रति किलोमीटर 01 पैसे की वृद्धि की गई। साधारण (शयनयान श्रेणी और प्रथम श्रेणी) में प्रति यात्री प्रति किलोमीटर 01 पैसे की वृद्धि और मेल/एक्सप्रेस में अवातानुकूल श्रेणी तथा वातानुकूल श्रेणी में प्रति यात्री प्रति किलोमीटर 02 पैसे की मामूली वृद्धि की गई थी।

किराए में वृद्धि कम ही रही है, जो कि यात्रा के प्रति किलोमीटर पर आधे पैसे से लेकर 02 पैसे तक है। निम्न और मध्य आय वर्गीय यात्रियों की सामर्थ्य चिंताओं को देखते हुए, पिछले दस वर्षों में उपनगरीय सेवा और सीजन टिकट धारकों के लिए किराए में कोई वृद्धि नहीं की गई है। यह अनुमान है कि आधे से भी कम यात्राओं में किराए में मामूली वृद्धि होगी।

वित्त वर्ष 2023-24 में यात्रियों की यात्रा पर दी गई कुल सब्सिडी राशि अनंतिम रूप से 60,466 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। यह राशि यात्रियों की यात्रा की लागत की 45% सब्सिडी के बराबर है। दूसरे शब्दों में, यदि सेवा उपलब्ध कराने की लागत 100 रुपए है, तो टिकट की कीमत मात्र 55 रुपए है। इस सब्सिडी के साथ-साथ, जो सभी यात्रियों के लिए सर्वनिष्ठ है, दिव्यांगजनों की कई कोटियों, रोगियों की 11 कोटियों और विद्यार्थियों की 8 कोटियों के लिए रियायतें भी जारी हैं।

******